कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230410

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ 9018 दिनांक 23/9/2020

निमित्तः-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

कोटा

विषयः-Diversion of 5.232 ha forest land in favour of Water Resources Department for right main canal and minor of Ahamdi minor Irrigation Project.
Proposal Name FP/RJ/Irrige/2375/2016

संदर्भः-भारत सरकार पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्रांक 759 दिनांक 23.07.2020 एवं आपका पत्र क्रमांक 4140 दिनांक 03.09.2020 Online EDS 18.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) कार्यालय द्वारा जारी Online EDS के पत्रांक 759 दिनांक 23.07.2020 एवं Online EDS 18.09.2020 की पूर्ति कर online कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है

S N	EDS Date 23-07-2020	Repaly of EDS
1.	Land Proposed for Diversion CA as well as area proposed for diversion shows encroachments. It needs clarification.	Encroachment was shows in khasara no 62 in bigha 6 biswa land. so that revised allottoment ha been done by Collector vide letter date 28.08.201 for 1 bigha 6 biswa land khasara no 61. Lan suitability certificate is enclosed.
2.	NOC from concerned departments are not attachedand uploaded.	User Agency submitted;- 1. NOC from Gram panchayat Bajarang Garh. 2.Alloment of compensatory forest land which is a NOC itself. 3. NOC from S.D.O Chhipabarod and Tehsildar Chhipabarod. 4. NOC from Patwari Amlawada ali summitted for further necessary action please.

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है

भवदीय

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ दिनांक

प्रतिलिपि-:प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)राजस्थान जयुपर।

2.अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड तृतीय बांरा

Scanned by CamScanner

Deputy Conservator of Forests, Baran (Rajasthan)

Full Title of the Project: Right Main canal and minor of Ahmadi Minor irrigation project, District - Baran (Raj.)

File No. : FP/RJ/IRRIG/23175/2016

Date of Proposal: 19/07/2017

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 20

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE for Part III 0.571 ha"

This is to certify that.....**0.571**.....ha. Non Forest land of village Piplya bearing Khasra No. **61** and **62** of village **Piplya** Tehsil **Chipabard** District **Baran** is identified for Compensatory Afforestation **(NFL)** is suitable for plantation from management point of view and is free and all sorts of encumbrances and encroachments.

Place: Baran

Date: 27/09/2019

(Signature)

Name (महेश चन्द गुप्ता)

Designation उप वन संरक्षक बारां

Official Seal.....

Scanned by CamScanner

NOC from Gram Panchayat

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत बजरंगगढ़

पंचायत समिति किशनगंज, जिला बारां (राज.)

प्रेषक :-	प्रेषिति:-
श्रीमती सन्तोष सहरिया **सरपंच** मो.9549257108,8875643440 ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ ,पंचायत समिति,किशनगंज	श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

क्रमांक 2016-17/SP-1

दिनांक 26-1-2017

विषय:- अहमदी सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में

प्रमाणित किया जाता है कि अहमदा के खसरा नं० 259, 258, 257 का रकबा 1.1460 हैक्टर, ग्राम अहमदी के खसरा नम्बर 306, 304, 303, 300, 301, 283 का रकबा 2.8260 हैक्टर एवं ग्राम पं० बजरंगगढ़ के खसरा नम्बर 558, 556 का रकबा 1.2600 हैक्टर कुल खसरा 11 प्रभावित वन भूमि का रकबा 5.2320 हैक्टर दायीं मुख्य नहर एवं माइनर की वन भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी तरह का पट्टा किसी को जारी नहीं किया गया है। तथा वन अधिकार - अधिनियम 2006 के तहत सहरिया, आदिवासी अनुसूचित जाति व - जनजाति को उक्त प्रभावित वन भूमि पर कोई पट्टा जारी नहीं किया है, और ना ही बसाया गया है। का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26-1-2017 की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 6 के आधार पर - पंचायत द्वारा जारी किया जाता है।

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बजरंगगढ़
पं.स. किशनगंज (बारां)

सरपंच
ग्राम पंचायत बजरंगगढ़
पं.स. किशनगंज (बारां)

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

Scanned by CamScanner

Annexure- V

आज दिनाँक 26.01.2017 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर व माइनर में, जो वन विभाग से गुजर रही है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिए नहर, माईनर बनाना प्रस्तावित है। अतः सर्व सम्मति से नहर,माईनर के निर्माण में किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में नहर,माईनर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 6 पर इन्द्राज हैं तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

P.C. Attested
(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत
पं.स.किशनगंज (बारां)

P.C. Attested
(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

सचिव
सचिव ग्राम पंचायत

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

कमाक :एफ–4(5)(26)राजस्व/18/ दिनांक 2019

–:आदेश:–

अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में आने वाली ग्राम–अहमदा, अहमदी व बजरंगढ, तहसील किशनगंज की 5.23 है0 वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित किये जाने हेतु मांग करने पर तहसीलदार, छीपाबडोद द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 17.07.2017 अनुसार सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को वानिकी भूमि की एवज में सेट–अपार्ट की जाती है तथा उक्त प्रकरण में पूर्व के इस कार्यालय के आदेश कमांक–एफ–4(5)(26)राजस्व/18/3291–99 दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाता है।

क. सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	कुल रकबा (बीघा बिस्वा में)	सेट–अपार्ट रकबा (बीघा बिस्वा में)	किस्म
1	छीपाबडोद	पीपल्या चौकी	56	7.00 बीघा 13 बिस्वा	7.00 बीघा 13 बिस्वा	मगरी
			61	1.00 बीघा 06 बिस्वा	1.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			62	13.00 बीघा 7 बिस्वा	12.00 बीघा 01 बिस्वा	मगरी
			120	06 बिस्वा	06 बिस्वा	मगरी
			121	11.00 बीघा 06 बिस्वा	11.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			कुल किता 5	कुल 33.00 बीघा 18 बिस्वा	कुल 32.00 बीघा 12 बिस्वा	

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

P.C. Atkasm

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बाराँ)

Sd
(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर
बारां

कमांक :एफ–4(5)(26)राजस्व/18/ 4972-80 दिनांक 28/8/ 2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. उप वन सरंक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां
5. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद, किशनगंज।
6. तहसीलदार, छीपाबडोद, को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का अमल–दरामद करें एवं संबंधित विभाग को दखल दिया जाकर दखलनामे की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवावे।
7. तहसीदार, किशनगंज को नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

Tech

Copy to Adm Bhag - III for N/9

जिला कलक्टर
बारां

पता : मिनी सचिवालय, बारां (325205)
Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005
E-mail ID : dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com

E:\Daulat nagar\allotment\5- Rule-1963 other Allotment.docx-

2739 –

P.C. Atkasm

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बाराँ)

29/8/19

695
2.9.19

Scanned by CamScanner

NOC from Tehsildar Chhipabarod.

संशोधित
परिशिष्ट–ब

राजकिय विभागो/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो/शालाओ इत्यादि के लिए राजस्थान भू-राजस्व संस्थाओ स्कूलो,कालेज,चिकित्सालय,धर्मशालाओ,तथा सार्वजनिक उपयोग मे अन्य भवन निर्माणार्थ अनधिवासित राजकिय कृषि भूमि का आंवटन नियम 1963

1.प्रार्थी विभाग का नाम वन विभाग

2.आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति मे स्तर अंकित करे) आदर्श परियोजना के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन

3.क्या इस प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व मे भूमि आंवटन हुआ है भूमि के बदले भूमि परिवर्तन हेतु
यदि हा तो इसका विवरण नहीं

4.क्या पूर्व मे आंवटित भूमि का समूचित उपयोग किया जा चुका है?

5.प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान मे क्या व्यवस्था की हुई है? भूमि पर पड़ा पड़ी हुई है

6.विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड? X

7.यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हे तो उसका विवरण।

8.मानदण्डो से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नही होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य।

9.आंवटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण–

(1) तहसील का नाम छीपाबड़ोद

(2) ग्राम का नाम पीपल्याकलाँ

(3) खसरा नम्बर 56/713 समूर्ण 61/106 समूर्ण 120/806 समूर्ण 121/106 समूर्ण 62/13-07 12-07 हे

(4) भूमि की किस्म असिंचित

(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल किटा 5 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा

(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल 32 बीघा 12 बिस्वा

(7) जमाबन्दी,खसरा व नक्शे की प्रति सलंग्न है हाँ/नही

(8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नही (पटवारी की मोका रिर्पोट संलग्न करे)

(10) यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो– नहीं

(अ) पशु संख्या नहीं

(ब) प्रस्तावित आंवटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भमि हां

(स) पशुओ के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है हां

(द) यदि नही तो चारागाह की वैकल्पिक व्येवस्था

(11) भूमि नगर पालिका मे स्थित है/ग्राम पंचायत मे (नाम लिखे) ग्राम पंचायत क्षेत्र (अमलावदासाली)

(12) स्थानिय निकाय का निरापत्ति प्रमाण पत्र एव प्रस्ताव की प्रति संलग्न करे

(13) नगरीय क्षेत्र मे स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की प्रति संलग्न करे।

(14) क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है नहीं

(15) क्या प्रस्मावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?

(16) यदि स्वीकृति प्राप्त नही हुयी है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा?

(17) यदि निर्माण मे पूर्व मे हो चुका है तो अंकित करे।

(18) पूर्व मे अनुमति नही प्राप्त करने का कारण

(19) जिला कलक्टर बांरा की राय निम्नानुसार अनुविभाग की जाती है कार्यवाही करें (सहायक रिपोर्ट है)

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बाराँ)

पटेवारी
पटवार मण्डल 3 किलाबिदा अमली
तह. छीपाबड़ोद जिला बारां
2-7-19

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ोद जिला-बारां

तहसीलदार (भू०अ०)
तहसीलदार
तहसील छीपाबड़ोद (बारां)
P.C. Atkshu

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बाराँ)

Scanned by CamScanner

आवंटन चैक लिस्ट

1	आवंटन करने वाले जिले का नाम	बारां
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	×
3	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	×
4	संस्था का गत 5 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	×
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण सामग्री एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	×
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	×
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की आवश्यकता/अभिमत एवं मान्यता	प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित वन विभाग कि. आ. के उपरांत अपेक्षित पर्यावरण है
8	संस्था द्वारा Norms से अधिक भूमि चाही जावें पर उसका औचित्य	
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो विवरण दें।	क्रमांक-एफ.5-7/26 राजस्व/नि/329/-99 दिनांक 15 मई 2018
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा?	नहीं
11	संस्था द्वारा चाही गई भूमि का विवरण- राजस्व ग्राम का नाम, खा०नं०, किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शा	संलग्न है, ख.नं. 56 61 62 120 121 7-13 7-01 13-01 0-06 11-06
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	×
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	×
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	× नियमानुसार
15	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	× नियमानुसार
16	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है? या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय, वनीय, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	15 km
18	क्या भूमि पर निर्माण हो चुका है या पूर्व से ही निर्माण है?	×
19	भूमि पर अतिक्रमण हो तो विवरण।	×
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी राजस्व नक्शा- तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है
22	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिमत संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
23	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफेरी क्षेत्र में है तो क्या विकास की एन.ओ.सी. संलग्न है?	नहीं
24	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
25	क्या मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है।	×
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	×
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	LR Act 1956 की दफा 92

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबन्ध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्संबन्धी संतुष्टि कर ली गई है एवं तदानुसार प्रकरण में भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

2.6.19
उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार (म०अ०)
तहसील छबड़ा (बारां)

Scanned by CamScanner

Compressor Free Version

परिशिष्ट 4

राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1983

1.प्रार्थी विभाग का नाम वन विभाग

2.आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्पष्ट अंकित करें) आरक्षी परिसीमा के अंतर्गत प्रशासनिक

3.क्या इस प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है यदि हां तो इसका विवरण नहीं

4.क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है?

5.प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है? भूमि के पट्टा पट्टा नहीं है

6.विभागीय 1983 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड? x

7.यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये है तो उसका विवरण।

8.मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नही होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य।

9.आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण–

(1) तहसील का नाम छीपाबड़ौद

(2) ग्राम का नाम पीपल्याकी

(3) खसरा नम्बर 56/13 मसूरी 61/106 मसूरी 120/106 मसूरी 121/106 मसूरी (62/13 [illegible])

(4) भूमि की किस्म चारागाह

(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल बिघा 5 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा

(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल 3 बीघा 12 बिस्वा

(7) जमाबन्दी,खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है हां/नही

(8) प्रस्तावित भूमि कब्जाग्रस्त क्षेत्र की है अथवा नही (पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करे)

(10) यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो– नहीं

(a) पशु संख्या नहीं

(b) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भूमि हां

(c) पशुओं के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है हां

(d) यदि नही तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था

(11) भूमि नगर पालिका मे स्थित है/ग्राम पंचायत मे (नाम लिखें) ग्राम पंचायत है (अमला [illegible])

(12) स्थानीय निकाय का निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करे

(13) नगरीय क्षेत्र मे स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की प्रति संलग्न करे।

(14) क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? नहीं

(15) क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?

(16) यदि स्वीकृति प्राप्त नही हुयी है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा?

(17) यदि निर्माण मे पूर्व मे हो चुका है तो अंकित करे।

(18) पूर्व मे सहमति नही प्राप्त करने का कारण [illegible]

(19) जिला कलक्टर बारां की राय

सहमति [illegible]

तहसीलदार (मू०अ०)
तहसीलदार
छीपाबड़ौद (बारां)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला-बारां

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

P.C. Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

Scanned by CamScanner

NOC of Revenue, Afforestation (4)

Free Version

[illegible]

15/7/2018 को [illegible] बारां [illegible] अन्तर्गत किसान परिवीक्षण योजना के निर्माण में आने वाली अन्य [illegible] के [illegible] हेतु आवेदन करने पर [illegible] के [illegible] अभिलेख [illegible] हेतु आवेदन करने पर [illegible] द्वारा प्रस्तावित एवं उपलब्ध अभिलेखों के पत्रांक [illegible] एफ.सी.ए./उ.व.रा./2017-18/8359 दिनांक 13.4.2018 के आधार पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के आधार पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि का विवरण की [illegible] भूमि की [illegible] की गई है। ग्राम पीपलखेड़ी [illegible] 62 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा [illegible] 1 बीघा 6 बिस्वा [illegible] 62 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा [illegible] 1 बीघा 6 बिस्वा [illegible] 62 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा [illegible] 1 बीघा 6 बिस्वा [illegible] उपरोक्त परिवीक्षण योजना [illegible] किसान [illegible] वन भूमि की हस्तांतरित हेतु किसान [illegible] के [illegible] उपलब्ध करने के आदेश दिये [illegible] स्वीकार किया [illegible] 62 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा में [illegible] 1 बीघा 6 बिस्वा के [illegible] होने के कारण [illegible] 62 में से 1 बीघा 6 बिस्वा कम करते हुये [illegible] के [illegible] रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा प्रस्तावित कर हस्तांतरण का प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में पेश है।

सलग्न हस्तांतरण प्रस्ताव की नकल

एवं आदेश श्रीमान जिलाकलेक्टर बारां

क्रमांक एफ-4(5)(26)राजस्व/18 [illegible]

पटवारी
पटवार मण्डल [illegible]
तह छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
22-7-18

P.C Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

P.C Attested

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारां)

Scanned by CamScanner